9. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

सैक्टर एक दृष्टि में

वार्षिक योजना वर्ष 2014–2015 में योजना हेतु प्रस्तावित राशि

- आयोजना बजट सीलिंग राशि 17329.94 लाख
- राज्य आयोजना मद 5173.45 लाख
- केन्द्रीय योजना मद 12156.19 लाख

लक्ष्य एवं उदेश्य

- शिशु मृत्यु दर 31 प्रति हजार लाना
- कुल प्रजनन दर 2.1 पर लाना
- मातृ मृत्यु दर 148 प्रति हजार जीवित जन्म पर लाना।
- स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर 4 प्रा.स्वा.केन्द खोलना, 20उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलना, 2 प्रा.स्वा. केन्द्रों को सामु.स्वा.केन्द्र में क्रमोन्नत करना
- चिकित्सा संस्थाओं में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना
- बी.पी.एल. एवं गरीब व असहाय परिवारों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना
- ब्लॉक मुख्यालयों पर 24 घण्टे आपात चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना।

fpfdRlk LokLF; ,o ifjokj dY;k.k foHkkx dk nf"V i=

6-1 orZeku fLFkfr

	नागौर	राजस्थान
जीवन के समय प्रत्याशा	64.9	60
नवजात शिशु मृत्यु दर (दर प्रति हजार)	82	87
शिशु मृत्यु दर	102	
जन्म दर	34.7	
स्त्री अनुपात	947	
चिकित्सालय प्रति दस हजार व्यक्ति	2.7	
औषधालय प्रति दस हजार व्यक्ति	0.6	
चिकित्सक प्रति दस हजार व्यक्ति	0.84	
शैय्याएं प्रति दस हजार व्यक्ति	6	
महिलाओं के विवाह की औसत आयु	16.4	

6-1-1 ftyk] jkT; ,oa ns'k dk LokLF; lwpdkad ij ,d utj

LokLF; lwpdkd	ukxkSj ¼2006½*	jktLFkku ¼2004½	Hkkjr ¼2004½
अशोधित जन्म दर	25.94	29	24.1
अशोधित मृत्यू दर	4.87	7.0	7.6
मातृ मृत्यू दर	.41	4.45	3.01(2003)
शिशु मृत्यू दर	26.60	67	58
दम्पति सरंक्षण दर	37	43	46.2 (2001)
कुल प्रजनन दर	3.11	3.2	2.79

6-1-2 mi[k.M okj fpfdRlk lqfo/kk,a ¼la[;k½

क्र.सं.	उपखण्ड	ब्लॉक प्रा.स्वा.केन्द्र	अस्पताल	सा.स्वा.केन्द्र	प्रा.स्वा.केन्द्र	उप स्वास्थ्य केन्द्र
1	नागौर	बासनी	1	0	9	61
		खींवसर	0	3	6	50
		डेह	0	1	10	58
2	मेड़ता	नोखा चांदावता	0	2	8	49
		रियां	0	1	7	48
		डेगाना	0	1	7	56
3	परबतसर	गच्छीपुरा	0	2	7	52
		बडू	0	1	7	47
		कुकनवाली	0	2	12	67
4	डीडवाना	मौलासर	1	2	10	72
		जसवंतगढ	0	2	4	41
		;ksx	**2**	**17**	**87**	**601**

?

6-2 ;kstuk vof/k gsrq y{; ,oa izkFkfedrk,a

- शिशु मृत्यु दर 31 प्रति हजार तक लाना
- कुल प्रजनन दर 2.1 पर लाना
- स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कर प्रा.स्वा.केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलना तथा प्रा.स्वा. केन्द्रों को सामु.स्वा.केन्द्र में क्रमोन्नत करना
- चिकित्सा संस्थाओं में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करना
- बी.पी.एल. एवं गरीब व असहाय परिवारों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना
- ब्लॉक मुख्यालयों पर 24 घण्टे आपात चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना

6-3 y{;ksa rd igqapus dh :ijs[kk ,oa j.kuhfr

6-3-1 tUe nj dks de djuk &

- विवाह के समय की आयु को बढाना – लड़कियों की विवाह आयु 18 वर्ष करना।
- बच्चो के बीच अन्तराल रखना।
- छोटे परिवार की अवधारणा के बारे में जागरूकता लाना।

6-3-2 ekr` eR;q nj esa deh ykuk &

- शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओ का समय पर पंजीयन तीन जांच की दर को बढाना।
- समस्त गर्भवती महिलाओ के टी.टी. के टीके लगाना।
- संस्थागत प्रसव दर को बढाना।
- प्रसवोत्तर सेवाओ में गुणात्मक सुधार करना।

6-3-3 f'k'kq eR;q nj esa deh ykuk &

- सम्पूर्ण टीकाकरण करवाना।
- दस्त रोग के नियंत्रण हेतु ओ.आर.एस. के घोल का 90 प्रतिशत प्रयोग सुनिश्चित करना।
- तीव्र श्वसन के संक्रमण में 70 प्रतिशत कमी करना।
- 70 प्रतिशत बच्चो को विटामिन 'ए' की खुराक पिलाना सुनिश्चित करना।

6-3-4 LokLF; lsokvksa dk foLrkj %&

- वर्ष 2008–09 में 20 नये उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलना।
- योजना अवधि के दौरान 4 प्रा.स्वा. केन्द्र खोलना।
- योजना अवधि के दौरान 2 प्रा.स्वा.केन्द्रो को सा.स्वा.केन्द्रो में क्रमोन्नत करना।

6-3-5 vk/kkjHkwr lqfo/kkvksa dk foLrkj %&

- सभी उपस्वास्थ्य केन्द्रो पर लेबर रूम का निर्माण, मरम्मत, एवं बिजली पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार करना है।
- सभी प्रा.स्वा.केन्द्रो पर ऑपरेशन थियेटर, स्टॉफ हेतु आवास का निर्माण उपकरण इत्यादि उपलब्ध करवाना।
- सभी सा.स्वा.केन्द्रो को क्षमता के आधार उपकरण आवश्यक निमार्ण कार्य करवाना।

6-3-6 ifjokj dY;k.k dk;ZØe ykxw djus dh 0;oLFkk %&

- स्टेटिक सेन्टर पर नियमित नसबंदी पर अधिक जोर देना।
- जिले में कार्यरत सृजनों एवं चिकित्सकों को लेप्रोस्कॉपी सर्जरी एवं एनेस्थिसिया के प्रशिक्षण में भिजवाकर स्टेटिक सेन्टरों एवं शिविरों में सर्जनों एवं एनेस्थिसिया की कमी को दूर करने के प्रयास करना।
- पैरा मेडिकल स्टाफ को केडर वार पुरूष एवं महिला नसबंदी के लक्ष्य आंबटित करना।
- निजी चिकित्सा संस्थाओं को भी नसबंदी करने हेतु पंजीकृत करना।
- कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए 15 से 35 आयुवर्ग के दम्पतियों एवं 2 बच्चों वाले दम्पतियों पर ध्यान केन्द्रित करना।
- पुरूष नसबंदी के मेगा शिविरों को आयोजन करना।
- नसबंदी पर दी जा रही प्रोत्साहन राशि योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कर लोगों को नसबंदी के लिए प्रेरित करना।
- महिला स्वास्थ्य संघों का सुदृढीकरण कर परिवार कल्याण, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में सहयोग लेना।
- जनमंगल जोड़ों, आयुर्वेद विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, जन–प्रतिनिधियों, स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लेकर परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाना।
- डिपो होल्डरों को सुदृढीकृत करना।
- आई.ई.सी. गतिविधियों का सघन आयोजन करना।

6-3-7 ekr`Ro ,oa f'k'kq LokLF; dk;ZØe %&

- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार के लिए सभी गर्भवती महिलाओं का समय पर शत–प्रतिशत पंजीयन, टी.टी.टीकाकरण, आयरन फोलिक एसिड उपलब्ध करवाना, जटिल प्रसवों की पहचान कर रेफर कर सुरक्षित हाथों से प्रसव करवाना एवं संस्थागत प्रसव पर जोर देना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण हेतु सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों पर प्रतिमाह निश्चित दिवस को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य दिवस का आयोजन कर बच्चों व माताओं का टीकाकरण एवं स्वास्थ्य जांच करना।
- जिले के दूर–दराज के क्षेत्रों में जहां पर परिवार कल्याण एवं टीकाकरण कार्यक्रम की सेवायें देने हेतु आर.सी.एच. कैम्प आयोजित होता है वहां निशुल्क जांच व दवाइयां वितरित करवाना।
- जिले में किसी भी महिला की असुरक्षित हाथों से प्रसव के कारण मृत्यु न हो के लिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रशिक्षित दाईयों को प्रशिक्षित करना।

6-3-8 vU; dk;Øe %&

- संक्रामक रोग – संक्रामक एवं मौसमी बीमारियों की रोकथाम बाबत दैनिक सर्वेक्षण, व्यक्तिगत स्वच्छता, पेयजल स्त्रोतों का नियमित शुद्धिकरण कार्य करवाया जाकर पेयजल गुणवत्ता बनाये रखने हेतु क्लोरीन मात्रा की जांच करवाने की व्यवस्था की गई है। समय–समय पर पेयजल नमूने लेकर जांच करवाने के साथ ही साथ ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य समितियों द्वारा ग्रामीणें में स्वच्छ जल, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वच्छ वातावरण तैयार किया जा रहा है। लिकेज पाईप लाईने अविलम्ब दूरस्थ करवाई जाने के साथ ही साथ 1 वर्ष तक के बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों के टीके लगाने की व्यवस्था की गई है। समय–समय पर प्रचार–प्रसार के माध्यम से जन–साधारण में जागरूकता लाई जा रही है।
- संस्थागत प्रसव – संस्थागत प्रसव को बढावा देने के लिए एनआरएचएम योजना के तहत जननी सुरक्षा योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिला को 1400 रूपये व शहरी क्षेत्र की महिला को 1000 रूपये प्रदाय किये जा रहे हैं। संस्थागत प्रसव को बढावा देने के लिए आशा सहयोगिनी को प्रसूता प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जा रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भवती महिलों से नियमित संपर्क कर संस्था पर प्रसव के फायदों की जानकारियां दी जा रही है।
- बीपीएल, मेडिकेयर कार्ड एवं मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष योजना – बीपीएल कार्ड धारियों को मेडिकेयर कार्ड उपलब्ध करवाये गये हैं, जिनके माध्यम से उन्हें निःशुल्क दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है। केंसर, वाल्व, हार्ट, गुर्दा आदि से संबंधित गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के तहत सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन करने पर उनके आवेदन की पूर्ण जांच कर आवेदन राज्य स्तर पर भिजवाये जाते हैं।
- मलेरिया, डेंमू, चिकिनगुयिा, टी.बी. – शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित सर्वेक्षण, बुखार के रोगियों का सर्वेक्षण, रक्त पट्टिकाओं का संग्रहण करवाया जा रहा है। पोजिटिव पाये जाने वाले व्यक्तियों की तुरन्त आमूल उपचार की व्यवस्था की गई है। चिन्हित क्षेत्रों में सघन सर्वेक्षण करवाया जाकर बीमार रोगियों को उपचारित किया जाता है। ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका स्तर पर समय–समय पर विशेष सफाई अभियान चलाये जाकर पानी के खड्डों में बर्न ऑयल डालने की व्यवस्था की गई है ताकि अनावश्यक मच्छर नहीं पनपे। मलेरिया पोजिटिव क्षेत्रों में डीडीटी पाउडर स्प्रे करवाने की व्यवस्था भी की गई है तथा ऐसे क्षेत्रों में पैरामेडिकल स्टाफ की टीम गठित कर घर–घर सघन सर्वेक्षण, रक्त पट्टिकाओं का संग्रहण कर जांच की जाती है। एन्टीलार्वा गतिविधियां चलाकर मच्छरों की प्रजनन क्षमता को कम किया जाकर प्रचार–प्रसार के माध्यम से भी आम लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जाता है।
- एएनसी, पीएनसी एवं परिवार कल्याण सेवायें – महिला के गर्भवती होने का पता चलते ही स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा सर्वप्रथम महिला का टीकाकरण कर पंजीयन किया जाता है तथा समय–समय पर जांच कर उसे आयरन की गोलियां देना, वजन लेना, बीपी जांच करना, जटिलता का पता लगाकर उपचार एवं सुरक्षित हाथों से प्रसव बाबत रेफर करने संबंधी कार्य किये जाते हैं। समस्त पंजीकृत महिलाओं के टीकाकरण एवं प्रसव पूर्व की शत–प्रतिशत नियमित जांच के साथ ही साथ प्रसव का समय निकट आने पर उसे संस्थागत प्रसव की सलाह दी जाती है। इसके पश्चात् उन्हें परिवार सीमित रखने के लिए परिवार कल्याण के साधनों के बारे में जानकारी देकर नसबंदी के लिए भी प्रेरित

किया जाता है। यदि महिला 2 या 3 साल के अन्तराल से बच्चा चाहती है तो उसे अन्तराल साधन अपनाने के लिए प्रेरित कर साधन उपलब्ध करवाये जाते है।

6-3-9 jk"Vªh; xzkeh.k LokLF; fe'ku

- ftyk xzkeh.k LokLF; lfefr & जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति का गठन किया जाकर पंजीकरण कराया जा चुका है। वर्तमान में जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति का नाम परिवर्तित कर जिला स्वास्थ्य समिति रख दिया गया है। इस समिति के अन्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित कमेटियों का गठन भी किया जा चुका है।
- vk'kk≶kfxuh & प्रत्येक गांव में 1000 की आबादी पर एक मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता का चयन किये जाने का प्रावधान है जो कि गांव स्तर पर एएनएम तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ समन्वय रखकर कार्य करेगी।
- midUn vuVkbM Q.M %& इस योजना के अन्तर्गत जिले में 601 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में सरपंच एवं एएनएम का संयुक्त खाता खोला जाकर सभी उप केन्द्रों को तृतीय किस्त जारी की जा चुकी है।
- tuuh lqj{kk ;kstuk %& इस योजना के अन्तर्गत जिला अस्पतालों, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सभी सा./प्रा.स्वा. केन्द्रों को अग्रिम राशि उपलब्ध करा दी गई है इसके अलावा जिले में 9 निजी अस्पतालों को भी जननी सुरक्षा योजना के तहत मान्यता प्रदान करके योजना क्रियान्वित की जा चुकी है।
- vk;q"k ¼**AYUSH**½ %& योजना के तहत जिले के 41 केन्द्रों को चिन्हित किया जाकर सूची आयुर्वेद विभाग को भिजवाई जा चुकी है जिसमें से 9 संस्थानों पर आयूष केन्द्र एलोपैथिक संस्थानों के साथ ही संचालित हो रहे हैं जिनमें आयुर्वेदिक सेवाएं प्रदान की जा रही है।
- vkbZih,p,l ¼**Indial Public Health Standard**½ %& जिले में प्रथम चरण में दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र निम्बी जोधा एवं मौलासर तथा द्वितीय फैज में कुचामनसिटी एवं मेड़तासिटी का चयन किया गया। सभी संस्थानों पर नीड एसेसमेन्ट का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इन केन्द्रों पर 24 घण्टे प्रसव सुविधा, आपातकालीन सेवाएं, ब्लड बैंक स्टोरेज सुविधा, लेबोरेट्री संबंधित सेवायें आदि उपलब्ध रहेगी। प्रथम चरण के संस्थानों पर 4.50 लाख प्रति संस्थान के हिसाब से 9.00 लाख की राशि हस्तान्तरित की गई है।
- vkj,evkj,l %& संस्थानों पर सभी विकास कार्य एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति मेडिकल रिलीफ सोसायटी का गठन कर 2 जिला अस्पताल, 17 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 87 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मेडिकल रिलीफ सोसायटी का गठन किया जा चुका है।
- ik-@lk-Lok- dUnz {kerko)Zu & सभी संस्थानों को इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट हेतु 0.25 लाख प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 1.00 लाख प्रति सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राप्त हुआ है। वार्षिक अनुदान के रूप में 5.00 लाख जिला अस्पताल नागौर व डीडवाना तथा 0.25 लाख प्रति प्रा.स्वा.केन्द्र वार्षिक अनुदान एवं अनटाईड फण्ड के प्राप्त हुए है। राशि सभी संस्थानों पर राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है।